

# स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**प्रेस नोट संख्या: 58, दिनांक: 21-02-2024**

हत्या की घटना में जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) से वांछित रु0 25,000/- के पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरविन्द सिंह उर्फ नीटू, जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार।

दिनांक: 21-02-2024 को एस0टीएफ0एफ0 उत्तर प्रदेश को हत्या की घटना के सम्बन्ध में जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) के थाना विकास नगर पर में पंजीकृत मु0अ0सं0 453/2023 धारा 302/307/120बी भादवि एवं 3/25 आर्स एकट में वांछित रु0 25,000/- के पुरस्कार घोषित अपराधी अरविन्द सिंह उर्फ नीटू को जनपद सहारनपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

## **अभियुक्त का विवरण:-**

अरविन्द सिंह उर्फ नीटू पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ग्राम बिजोपुर थाना छपार, मुजफ्फरनगर।

## **बरामदगी:-**

1- रु0 250/- नगद

## **गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थान:-**

दिनांक 21-01-2024 समय 17.30 बजे, जसमौर शाकुम्भरी थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर क्षेत्र।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एस0टी0एफ0 नोएडा टीम जनपद जनपद सहारनपुर में भ्रमणशील थी। इस दौरान दिनांक 21-02-2024 को मुख्यिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना विकास नगर, देहरादून पर पंजीकृत मु0अ0सं0 453/2023 धारा 302/307/120बी भादवि एवं 3/25 आर्स एकट में वांछित ईनामी अपराधी अरविन्द सिंह उर्फ नीटू जनपद सहारनपुर के जसमौर शाकुम्भरी जाने वाले रोड पर खड़ा है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त उप निरीक्षक श्री अक्षय पी0के0 त्यागी की टीम द्वारा तत्काल थाना विकास नगर, देहरादून की पुलिस से समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर आवश्यक पुलिस बल का प्रयोग करके अभियुक्त अरविन्द सिंह उर्फ नीटू को उपरोक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द सिंह उर्फ नीटू ने पूछताछ पर बताया कि उसके फूफा की जमीन विकास नगर, देहरादून में है और इस जमीन के कब्जे को लेकर विवाद था। जब वह उक्त जमीन पर कब्जा करने के लिए अपने अन्य लोगों के साथ वहाँ पर गया था तो मौके पर झगड़ा हो गया था और झगड़े के

दौरान उसने (अरविन्द्र सिंह उर्फ नीटू) एंव उसके साथियों ने फायरिंग कर दी थी, गोली चलने से भंगेल सिंह एवं उसका पुत्र निर्मल सिंह तोमल निवासीगण डुमेट विकास नगर देहरादून घायल हो गये थे तथा भंगेल सिंह की मृत्यु हो गयी थी। इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में थाना विकास नगर जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें यह वांछित चल रहा था और इसके गिरफ्तारी हेतु 25,000/- का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द सिंह उर्फ नीटू की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द सिंह उर्फ नीटू के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुए हैं—

- 1— मु0अ0स0 453/23 धारा 302/307/120बी भादवि एवं 3/25 आर्स एक्ट थाना विकास नगर जनपद देहरादून ।
- 2— मु0अ0स0 454/23 धारा 392/411 भादवि एवं 25 आर्स एक्ट थाना विकास नगर, देहरादून ।

गिरफ्तार अभियुक्त अरविन्द सिंह उर्फ नीटू, उपरोक्त को थाना विकास नगर, जनपद देहरादून उत्तराखण्ड पर पंजीकृत मु0अ0स0 453/2023 धारा 302/307/120बी भादवि एवं 3/25 आर्स एक्ट के अभियोग में दाखिल किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

